

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 23/11/2018

विषय: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना हेतु नव नियुक्त कार्यपालक सहायकों के दायित्व के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशय,

पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दोनों योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि अत्यंत चिन्ताजनक है। इनके क्षेत्र भ्रमण तथा कार्यों का अनुश्रवण लगातार किया जाना आवश्यक है। कहीं-कहीं यह भी शिकायत मिल रही है कि ये अपने क्षेत्र में नहीं पाये जाते हैं।

2. अभिलेखों के रख-रखाव, सख्त अनुश्रवण तथा ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों में सुधार के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायकों की व्यवस्था की गई है। इन कार्यपालक सहायकों की सेवा का उपयोग पंचायती राज विभाग के कार्यों के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाए। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

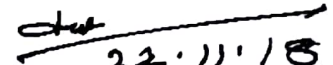


(दीपक कुमार)

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक: 3प/मु0मं0नि0यो0-19-22/2018/6350/पं0रा0 पटना, दिनांक 23/11/2018

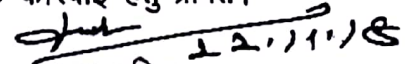
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22.11.18
प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 3प/मु0मं0नि0यो0-19-22/2018/6350/पं0रा0 पटना, दिनांक 23/11/2018

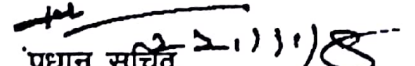
प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22.11.18
प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 3प/मु0मं0नि0यो0-19-22/2018/6350/पं0रा0 पटना, दिनांक 23/11/2018

प्रतिलिपि : मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, 6 सर्कुलर रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22.11.18
प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।